

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2022/2172 बअनवान मांगीलाल बनाम भूरी वगैरा  
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
17 <sup>06</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04, 05(अ)(ब) उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04, 05(अ)(ब) जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश करने में विफल रहने पर इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 03 बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 03 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थित वकूलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिकमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते है।</p> <p>अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुमटिया पटवार हल्का कुमटिया तहसील बाली के खसरा नंबर 247 के चारों ओर बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहायक कमिश्नर एवं पट्टेदार  
उपखण्ड अधिकारी, बाली